मूल वाद में अन्तिम डिक्री

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी निम्बाहेड़ा

पीठासीन अधिकारीः— पंकज शर्मा, RAS

प्रकरण सं. 84/2019 वाद

दाखी बाई बेवा नन्दलाल तेली, आयु 75 साल, निवासी पेंच की तलाई, तहसील निम्बाहेड़ा।

– वादीया

//बनाम//

1. किशनलाल पिता नन्दलाल तेली, आयु 50 साल, निवासी पेंच की तलाई, निम्बाहेड़ा।
2. जगदीश पिता नन्दलाल तेली, आयु 45 साल, निवासी पेंच की तलाई, निम्बाहेड़ा।
3. मु. कला पुत्री नन्दलाल पत्नी कैलाश तेली, आयु 55 साल, निवासी पेंच की तलाई, निम्बाहेड़ा हाल मुकाम झण्डा चौक, रानीखेड़ा, तहसील निम्बाहेड़ा।
4. लोकेश राठौड पिता केवलचन्द राठौड, आयु वयस्क, निवासी निम्बाहेड़ा।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेड़ा।

– प्रतिवादीगण

दावा

अन्तर्गत धारा 53, 188, 209 रा.का.अधि.

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली में आज दिनांक को वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री मदन चपलोत तथा प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री नरेन्द्र वैष्णव की उपस्थिति में दिनांक 04.02.2020 को प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार निम्बाहेड़ा को 500/– रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिये गये थे कि विवादित भूमि मौजा ईशाकपुरा की खाता संख्या 44 की आराजी नं. 125 रकबा 0.8000 हेक्टैयर भूमि का विभाजन बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस वादीया एवं प्रतिवादीगण के मध्य उनके राजस्व रेकार्ड में दर्ज हिस्से व मौके पर कब्जे अनुसार किया जावे। तहसीलदार निम्बाहेड़ा द्वारा प्रस्तुत फर्द विभाजन प्रस्ताव माफिक आदेशानुसार है।

अतः वाद वादीया कतई डिक्री किया जाता है। विवादित भूमि का बंटवारा फरिकेन के मध्य निम्नानुसार किया जाता हैः—

1— दाखी बाई पत्नी नन्दलाल तेली, सा. निम्बाहेड़ा के रहेगीः—

आराजी नं.	रकबा हेक्टेयर	लगान रूपये में
125/4	0.1300	2.47

2— किशनलाल पिता नन्दलाल तेली, सा. निम्बाहेड़ा के रहेगीः—

आराजी नं.	रकबा हेक्टेयर	लगान रूपये में
125/2	0.1800	3.42

3– जगदीश पिता नन्दलाल तेली, सा. देह के रहेगीः–

आराजी नं.	रकबा हेक्टेयर	लगान रूपये में
125 / 3	0.1800	3.42

4– कला पुत्री नन्दलाल तेली, सा. देह के रहेगीः–

आराजी नं.	रकबा हेक्टेयर	लगान रूपये में
125 / 1	0.1300	2.47

5– लोकेश पिता केवलचन्द राठौड़, सा. निम्बाहेड़ा के रहेगीः–

आराजी नं.	रकबा हेक्टेयर	लगान रूपये में
125मी.	0.1800	3.42

उपर्युक्तानुसार एवं संलग्न नक्शा ट्रेस में प्रदर्शित अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। बैंक रहन होने की स्थिति में रहन सम्बन्धित खातेदार के हिस्से पर अंकित किया जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आज तारीख 04.03.2020 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Sharma
Date: 2020.07.03 21:47:35 IST
Reason: SelfAttested
Location: